

भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5370
गुरुवार, दिनांक 25 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने हेतु

अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र

5370. श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे:

श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल:

श्री डी.के. सुरेश:

डॉ. सुजय विखे पाटील:

श्री राजेशभाई नारणभाई चुडासमा:

श्री भगवंत खुबा: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को देश में अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं या कोई योजना प्रारंभ की है और यदि हां, तो महाराष्ट्र सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) देशभर में स्थापित की जाने वाली ऐसी परियोजनाओं का महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या देश में ऐसे अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र पहले ही स्थापित किए गए हैं या कार्य कर रहे हैं और यदि हां, तो इनकी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या यह संयंत्र सही ढंग से कार्य कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) क्या इन संयंत्रों को स्थापित हेतु लक्ष्य और उद्देश्य प्राप्त कर लिए गए हैं या वांछित परिणाम प्राप्त हो गए है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा तथा विद्युत और कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

- (क) से (ग): नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय देश के शहरी, औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों की कतिपय उच्च ऊर्जा माँगों को पूरा करने के लिए शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट/अवशिष्ट से बायोगैस अथवा बायो सीएनजी अथवा विद्युत के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए “शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट/अवशिष्ट से ऊर्जा पर कार्यक्रम” नामक योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना में ऐसी परियोजनाओं की संस्थापना करने के लिए विकासकर्ताओं को बैंक-एंडेड सब्सिडी के रूप में केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

अभी तक महाराष्ट्र सहित पूरे देश में शहरी, औद्योगिक, कृषि अपशिष्ट और नगरीय ठोस अपशिष्ट पर आधारित बायोगैस/बायो सीएनजी/विद्युत के उत्पादन के लिए 186 अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन परियोजनाएं संस्थापित की गई हैं।

दिनांक 30.06.2019 की स्थिति के अनुसार देश में संस्थापित किए गए और संस्थापित किए जाने की संभावना वाले अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे अनुलग्नक में दिए गए हैं।

- (घ) और (ङ): अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य विद्युत/बायोगैस/बायो सीएनजी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करने हेतु नगरीय ठोस अपशिष्ट सहित कृषि, औद्योगिक और शहरी अपशिष्ट का उपयोग करना है। औद्योगिक डिस्ट्रीलरी, कागज और लुगदी, विलायक निष्कर्षण, चावल मिल्स, वस्त्र, भेषज उद्योगों आदि और शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादित अपशिष्ट/बहिःस्राव से ऊर्जा का उत्पादन करने के उद्देश्य से 317.03 मेगावाट समतुल्य संचयी क्षमता की 186 परियोजनाएं संस्थापित की गई हैं।

इन अपशिष्ट पदार्थों से बायोगैस/विद्युत के उत्पादन संबंधी प्रौद्योगिकियाँ सुस्थापित हैं और आवश्यक गुणवत्ता के फीड-स्टॉक की निरंतर आपूर्ति तथा नियमित आधार पर समुचित प्रचालन और अनुरक्षण से ये संयंत्र समुचित और कार्यक्षम तरीके से कार्य करते हैं।

अनुलग्नक

‘अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र’ के संबंध में पूछे गए दिनांक 25.07.2019 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 5370 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

देश में दिनांक 30.06.2019 की स्थिति के अनुसार संस्थापित किए गए और संस्थापित किए जाने की संभावना वाले अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	एमएसडब्ल्यू आधारित विद्युत संयंत्र	कृषि, शहरी और औद्योगिक बहिःस्राव/अपशिष्ट पर आधारित अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र				कुल संस्थापना	संस्थापित किए जाने की संभावना वाले अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों की संख्या
			विद्युत (ग्रिड)	विद्युत (ग्रिड)	विद्युत (ऑफ-ग्रिड)	बायोगैस (ऑफ-ग्रिड)		
		मेगावाट (संयंत्रों की संख्या)	मेगावाट (संयंत्रों की संख्या)	मेगावाट (संयंत्रों की संख्या)	घन मी./दिन (संयंत्रों की संख्या)	कि.ग्रा./दिन (संयंत्रों की संख्या)	मेगावाट समतुल्य (संयंत्रों की संख्या)	
1	आन्ध्र प्रदेश	-	23.16 (4)	17.66 (11)	60,240 (5)	-	46.44 (20)	4
2	बिहार	-	-	-	12,000 (1)	-	1.00 (1)	-
3	छत्तीसगढ़	-	-	0.33 (1)	-	-	0.33 (1)	-
4	दिल्ली	52.00 (3)	-	-	-	-	52.00 (3)	-
5	गुजरात	-	-	11.275 (10)	24,840 (4)	21,138 (4)	17.45 (18)	2
6	हरियाणा	-	-	4.0 (2)	-	2,050 (2)	4.46 (4)	1
7	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	12,000 (1)	-	1.00 (1)	1
8	कर्नाटक	-	1.00 (1)	4.8 (3)	58,080 (3)	1800 (1)	11.05 (8)	1
9	केरल	-	-	-	2,760 (1)	-	0.23 (1)	-
10	मध्य प्रदेश	11.5 (1)	3.9 (2)	-	25,566 (4)	1,200 (1)	17.78 (8)	-
11	महाराष्ट्र	3.00 (1)	9.59 (3)	14.63 (10)	1,10,580 (10)	19,533 (3)	40.30 (27)	2
12	पंजाब	-	9.25 (2)	4.17 (3)	33,720 (5)	1,847 (1)	16.65 (11)	-
13	राजस्थान	-	-	3.0 (1)	-	4,000 (2)	3.91 (3)	-
14	तमिलनाडु	-	6.4 (3)	4.05 (3)	1,57,320 (28)	-	22.96 (34)	1
15	तेलंगाना	-	18.5 (3)	1.0 (1)	30,000 (4)	-	22.00 (8)	3
16	उत्तर प्रदेश	-	-	44.625 (22)	57,200 (5)	2,000 (1)	49.81 (28)	3
17	उत्तराखंड	-	-	1.89 (2)	67,200 (5)	5,460 (1)	8.49 (8)	-
18	पश्चिम बंगाल	-	-	-	14,040 (2)	-	1.17 (2)	-
	कुल	66.5 (5)	71.8 (18)	111.43 (69)*	6,65,606 (78)	59,028 (16)		
			249.73 मेगावाट		55.46 मेगावाट समतुल्य	11.84 मेगावाट समतुल्य	317.03 (186)	18
			ग्रिड- 138.30 मेगावाट (23)		ऑफ ग्रिड -178.73 मेगावाट समतुल्य (163)			
